न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 72/2019

आर.सी.एम.एस. : 2019/00228

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

1. राजकुमार मेहता पुत्र शान्तीचंद मेहता
2. अनील कुमार पुत्र शान्तीचंद मेहता
3. नरेश कुमार पुत्र शान्तीचंद मेहता
4. ललीत मेहता पुत्र सुरजचंद मेहता
5. दिलीप मेहता पुत्र सुरजचंद मेहता
6. शशी मेहता पुत्री सुरजचंद मेहता
7. सुरेन्द्र मेहता पुत्र स्वं. जसवंत चंद मेहता
8. रीटा मेहता पुत्री स्वं. जसवंत चंद मेहता
9. अक्षय मेहता पुत्र स्वं. जसवंत चंद मेहता
10. मोना मेहता पुत्री स्वं. जसवंत चंद मेहता
11. अलना लोढा पुत्री स्व. हनवन्त चंद मेहता
12. कल्पना मेहता पुत्री स्व. हनवन्त चंद मेहता
13. नयन मेहता पुत्री स्व. हनवन्त चंद मेहता
14. सुधा मेहता पुत्री स्व. हनवन्त चंद मेहता
15. दीपक मेहता पुत्र स्व. हनवन्त चंद मेहता
16. सन्दीप मेहता पुत्र स्व. हनवन्त चंद मेहता
    समस्त जातिगण मेहता जैन निवासीगण
    चेन्नई
17. उम्मेद चंद मेहता पुत्र शिवचंद मेहता जाति
    जैन निवासी बैगलोर
18. महिपालचंद मेहता पुत्र शिवचंद मेहता जाति
    मेहता जैन निवासी मुम्बई हाल जोधपुर।

भुमिधारी तहसीलदार बाली हाल रानी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र नारायण ओझा।

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11.3.2024

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार बाली हाल रानी द्वारा स्वीकृत ग्राम खीमेल के नामान्तरकरण संख्या 339 दिनांक 06.04.1968 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम खीमेल तहसील बाली हाल रानी के पुराने खसरा नम्बर 735 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 459/988 रकबा आधा बीघा एक बिस्वा, खसरा नम्बर 458 रकबा 38 बिघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 459 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 467 रकबा 25.75 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 467/1 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 468 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 908 रकबा 30 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 907 रकबा पोन बीघा कुल 146 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है। जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त रहा है। तहसीलदार बाली हाल रानी द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण भरते समय खसरा नम्बर 467 पौने 26 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि जिसके नये नम्बर 1097 रकबा 4.80 हैक्टर खालसा भूमि दर्ज कर दी गई है एवं खसरा नम्बर 467 आबादी दर्ज कर दी गई, लेकिन यह कही अंकन नही किया कि आबादी भूमि किसके नाम दर्ज की गई है। मात्र आबादी भुमि लिखकर 467 रकबा पौने 26 बीघा दर्ज कर दी। जैर अपील नामान्तरकरण में यह भी स्पष्ट नही किया की कौनसा खसरा आबादी है और कौनसा खसरा कृषि भूमि का है। जैर अपील नामान्तरकरण श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 03.12.1967 का हवाला देकर भरा गया है। उक्त प्रकरण के संबध में जिला कलक्टर महोदय के आदेश की प्रति रेकर्ड शाखा से प्राप्त करने पर उक्त आदेश रेकर्ड शाखा में उपलब्ध नही होना बताया। जैर अपीलाधिन आदेश में खसरा नम्बर 467 के नये खसरा नम्बर 1097 है, जिसे ग्राम पचांयत के नाम रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया है लेकिन इसके संबध में ग्राम पंचायत के नाम किसी प्रकार का नामान्तरकरण दर्ज नही किया गया है। जैर अपील आराजी के अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। जिस पर अपीलाण्ट को बिना सुने एवं किसी प्रकार का मुआवजा राशि दिये बगैर जैर अपील आराजी ग्राम पंचायत के नाम आबदी दर्ज कर दी, जो काबिल खारिज योग्य है।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1968 मे भरा गया जिसे लगभग 50 वर्षो से अधिक समय हो गया है जबकि इसकी अपील वर्ष 2018 में पेश की है। इतने समय बाद प्रकरण के संबध में न्यायालय में अपील पेश करने का कोई औचित्य नही रहता है। अपील म्याद बाहर होने से भी खारिज योग्य है एवं अपील मीमो पर एक ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर है तथा अपीलाण्ट को जैर अपील आवेदन की पूर्ण जानकारी थी। जैर अपील आदेश विधि अनुसार एवं सभी को सुनवाई का अवसर देकर पारित किया गया हैं। जैर अपील नामान्तरकरण जिला कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 03.12.1967 की पालना मे भर कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं दस्तावेजात् को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने 50 वर्ष पश्चात अपील पेश की है जिसके सम्बन्ध में देरी बाबत् उचित कारण पेश नहीं किया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया है कि जैर अपील नामान्तरकरण श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 03.12.1967 की पालना में भरा गया है अगर उक्त आदेश प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नही किया जा सकता है कि जैर अपील आदेश नियम विरूद्ध किया गया है अथवा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

नहीं। जैर अपील नामान्तकरण किस प्रकार से गलत अथवा त्रुटिपूर्ण है यह तथ्य अधिवक्ता अपीलाण्ट सिद्ध नहीं कर पाये, न ही इसकी ताईद में कोई दस्तावेज पेश किये।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपने तथ्यों को सिद्ध नहीं कर पाने के कारण अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है तथा तहसीलदार बाली द्वारा ग्राम खिमेल के स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 339 दिनांक 06.04.1968 विधिवत् होने से यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 11/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली